फर्द अहकाम
अज अदालत—न्यायालय जिला कलक्टर—मुकाम—भरतपुर
विष्णु कुमार बनाम लो.सू.अधि. अति0 जिला कलक्टर, भरतपुर
किस्म मुकदमा अपील **RTI** नम्बर 58 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
04.09.2025	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट विष्णु कुमार निवासी ग्राम खैमरा खुर्द, पोस्ट सुनारी जिला भरतपुर की अपील ऑनलाईन अपील संख्या 060864749746389 से लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर भरतपुर के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अपील के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेज से जाहिर आया कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा आरटीआई के प्रार्थना पत्र के सदंर्भ में आक्षेप पूर्ति हेतु लिखा गया है। परन्तु प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा आक्षेप पूर्ति किये जाने के संदर्भ में कोई भी दस्तावेज अपील के साथ संलग्न नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/अपीलार्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह आक्षेप की पूर्ति कर पुनः लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सूचना प्राप्त कर सकते है। अतः उक्तानुसार अपील फैसल की जाकर अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर भरतपुर	796 8/9/25 [illegible]